

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0
शिक्षा सामान्य(2) अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

विशेष सचिव,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांक- सामान्य (2)/ 3477-78

/2023-24 दिनांक- 14 नवम्बर, 2023

विषय- प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2023-24 में राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-890/15-8-2023-2005(9)/2018टी0सी0 दिनांक 23.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2023-24 में राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये। तत्क्रम में निदेशालय के पत्रांक-सामान्य(2)/2015-2280/2023-24 दिनांक 28.08.2023 द्वारा समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 व समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को शासन के पत्र दिनांक 23.08.2023 द्वारा प्रस्तावित समय-सारणी के अनुसार चयन की कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

सूच्य है कि राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के दृष्टिगत व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए वेबसाईट <http://school.upmsp.edu.in> पर आनलाइन आवेदन प्राप्त करते हुए निम्नांकित समय-सारणी के अनुसार चयन की कार्यवाही पूर्ण किया जाय :-

| क्रम | विवरण | शासन के पत्र दिनांक 23.08.2023 में निर्धारित समय-सारणी | प्रस्तावित समय-सारणी |
|------|--|--|-----------------------------------|
| 1 | ऑनलाइन आवेदन | 06 सितम्बर से 25 सितम्बर तक | 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2023 तक |
| 2 | जनपदीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर पात्र अध्यापकों का चयन कर मण्डलीय समिति को प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित करना | 26 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक | 16 दिसम्बर से 25 दिसम्बर, 2023 तक |
| 3 | मण्डलीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर निदेशालय स्तरीय चयन समिति को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रेषित करना | 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक | 26 दिसम्बर से 03 जनवरी, 2024 तक |
| 4 | निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर राज्य चयन समिति को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रेषित करना | 31 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक | 04 जनवरी से 14 जनवरी, 2024 तक |
| 5 | राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयन की कार्यवाही | 16 नवम्बर से 30 नवम्बर तक | 15 जनवरी से 30 जनवरी, 2024 तक |
| 6 | चयनित अध्यापकों को पुरस्कार वितरण | 01 दिसम्बर 2023 के उपरान्त | 31 जनवरी, 2024 के उपरान्त |

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 23.08.2023 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2023-24 में राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन कर चुके प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों को पुनः आनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त से अवगत होते हुए शैक्षिक सत्र 2023-24 में राज्य एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन हेतु उक्त प्रस्तावित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ०(सहस्र देव)
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश।